प्रेस नोट–102/2026
दिनांक 17.02.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद रायबरेली/थाना कोतवाली नगर

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 01 लाख 25 हजार रूपये नगद**
- **लगभग 07 लाख रूपये कीमत की चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण आदि बरामद**

दिनांक 17.02.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हनुमंतपुरम मोड़ के पास से अभियुक्त शंकर प्रसाद को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 01 लाख 25 हजार रूपये नगद, लगभग 07 लाख रूपये कीमत की चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आभूषण, रूपया आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बनध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शंकर प्रसाद निवासी भरतपुरम थाना मिलएरिया जनपद रायबरेली।

बरामदगी

1–चोरी के 01 लाख 25 हजार रूपये नगद।

2–लगभग 07 लाख रूपये कीमत की चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण आदि।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना सिविल लाइन

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 40 हजार रूपये नगद**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद**

दिनांक 16/17.02.2026 को थाना सिविल लाइन पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर संधावली अण्डरपास के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–जितेन्द्र 2–शशि घायल हो गये, जिन्हे अभियुक्त 3–दिलीप उर्फ होलू सहित गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 40 हजार रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 07.02.2026 को थाना सिविल लाइन क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया उक्त घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त जितेन्द्र के विरूद्ध जनपद मेरठ, मुरादाबाद, बिजनौर के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग, अभियुक्त शशि के विरूद्ध जनपद मेरठ, मुरादाबाद, बिजनौर, खीरी व हरियाणा एवं उत्तराखण्ड प्रान्त के विभिन्न थानो में डकैती, लूट, चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट आदि के 22 अभियोग एवं अभियुक्त दिलीप उर्फ छोटू के विरूद्ध जनपद मुरादाबाद, सहारनपुर के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–जितेन्द्र निवासी आदर्श कॉलोनी थाना सिविल लाइन जनपद मुरादाबाद।

2–शशि निवासी आदर्श कॉलोनी थाना सिविल लाइन जनपद मुरादाबाद।

3–दिलीप उर्फ होलू निवासी आदर्श कॉलोनी थाना सिविल लाइन जनपद मुरादाबाद।

बरामदगी

1–चोरी के 40 हजार रूपये नगद।

2–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/स्वॉट टीम गाजियाबाद

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 445 कुन्तल 50 किलोग्राम सरिया**
- **घटना में प्रयुक्त 03 ट्रक ट्रॉला व 01 ग्राण्ड विटारा कार**
- **02 मोबाइल फोन, 02 इलेक्ट्रानिक चिप, 10 चिप आपरेट करने वाले रिमोट, टेस्टिंग मशीन, 02 फर्जी बिल बिल्टी व अन्य उपकरण आदि बरामद**

दिनांक 16.02.2026 को स्वॉट टीम गाजियाबाद पुलिस द्वारा सूचना के आधार पर मेरठ मोड़ के पास से अभियुक्त 1–आफताब को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के निशादेही पर हमदर्द ग्राउण्ड की पार्किग के पास से अभियुक्त 2–शाहरूख 3–नईम 4–वासिद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के निशादेही पर चोरी की 445 कुन्तल 50 किलोग्राम सरिया, घटना में प्रयुक्त 03 ट्रक ट्रॉला व 01 ग्राण्ड विटारा कार, 02 मोबाइल फोन, 02 इलेक्ट्रानिक चिप, 10 चिप आपरेट करने वाले रिमोट, टेस्टिंग मशीन, 02 फर्जी बिल बिल्टी व अन्य उपकरण आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त आफताब शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद सहारनपुर, अलीगढ़ व कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 11 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना वेवसिटी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आफताब निवासी इशाकनगर डासना थाना मसूरी कमिश्नरेट गाजियाबाद।

2–शाहरूख निवासी ग्राम बादौली थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।

3–नईम निवासी ग्राम लालपुर थाना धौलाना जनपद हापुड़।

4–वासिद निवासी ग्राम लालपुर थाना धौलाना जनपद हापुड़।

बरामदगी

1–चोरी की 445 कुन्तल 50 किलोग्राम सरिया।

2–घटना में प्रयुक्त 03 ट्रक ट्रॉला व 01 ग्राण्ड विटारा कार।

3–02 मोबाइल फोन, 02 इलेक्ट्रानिक चिप, 10 चिप आपरेट करने वाले रिमोट, टेस्टिंग मशीन, 02 फर्जी बिल बिल्टी व अन्य उपकरण आदि।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना मड़ियांव

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 02 चार पहिया, 06 दो पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 17.02.2026 को थाना मड़ियांव पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गौरभीट चौराहे के पास से अभियुक्त अजीत उर्फ सुन्दरम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 02 चार पहिया, 06 दो पहिया वाहन बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में चोरी आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना मड़ियांव पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अजीत उर्फ सुन्दरम निवासी ग्राम शिवपुरी पिपरगांव निवादा जनपद हरदोई।

बरामदगी

1–चोरी की 02 चार पहिया, 06 दो पहिया वाहन।

- **<u>जनपद आजमगढ़/थाना मुबारकपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 12 अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 65 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना मुबारकपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 147/148/302/149/120बी/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1अफजाल 2–अलाउद्दीन 3–दिलशाद 4–वसीम अहमद 5–मो0 असहद 6–हुसैन अहमद 7–मु0 अय्यूब 8–फहीम अख्तर 9–असरार 10–मो0 याकूब 11–अली जहीर 12–इरशाद अहमद को सश्रम आजीवन कारावास व प्रत्येक को 65 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बलिया/थाना पकड़ी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 75 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बलिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बलिया द्वारा थाना पकड़ी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 6 पॉक्सो एक्ट व 3(2)(5) एससीध्एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मंजीत उर्फ मंजी उर्फ नीरज को आजीवन कारावास व 75 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सिद्धार्थनगर/थाना शोहरतगढ़ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा थाना शोहरतगढ़ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त प्रहलाद को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सिद्धार्थनगर/थाना इटवा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 65 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा थाना इटवा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 व

376 भादवि सपठित धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सज्जाद अहमद अंसारी उर्फ मोहम्मद सज्जाद को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 65 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद सोनभद्र/थाना चोपन (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठिन कारावास की सजा व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सोनभद्र द्वारा थाना चोपन पर पंजीकृत अभियोग में धारा 377 भादवि व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त विजय उर्फ टीपू को 20 वर्ष के कठिन कारावास व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————